(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती प्रियंका गोस्वामी
प्रकरण संख्या : 80/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 19.08.2025 निर्णय दिनांक : 23.09.2025

1. कृष्ण कुमार पुत्र रामेश्वर जाति अहीर निवासी ग्राम सिरयानी तहसील नीमराना, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।

.....प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी नीमराणा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0,
2. जसवन्त पुत्र हरदेव जाति अहीर निवासी ग्राम सिरयानी तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़।
3. तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0।

.....अप्रार्थीगण

4. करणसिंह पुत्र रामेश्वर,
5. बलराज पुत्र रामेश्वरदयाल,
6. मुकेश कुमार पुत्र रामेश्वरदयाल,
7. सुरेश पुत्र रामेश्वरदयाल,

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम सिरयानी तहसील नीमराना जिला जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।

.....तरतीबी अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री सुधीर शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री राजेश यादव अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 02 की ओर सें।

निर्णय

दिनांक–23.09.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के समक्ष वाद अनुवानी जसवन्त बनाम करणसिंह प्रकरण संख्या 69/2025 मय स्थगन प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी नीमराणा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश यादव ने उपस्थित होकर वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।
3. वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी सख्या 02 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के समक्ष एक वाद तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट बउनवानी प्रकरण जसवन्त बनाम करणसिंह वगैरा प्रकरण संख्या 69/2025 व स्थगन प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर बाद तामील दिनाक 14.08.2025 को प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मय अधिवक्ता उपस्थित आकर अपना जवाब दावा एवं जवाब स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में प्रार्थी/प्रतिवादी को जवाब देही हेतु समय देने के बजाय मौखिक रूप से प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश पारित किये जिसका विरोध प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी को आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.08.2025 को जवाब दावा प्रस्तुत

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

किये जाने हेतु अंतिम अवसर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी महोदय के आचरण से यह स्पस्ट प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा लगाये जा रहे अनैतिक दवाबवश उपरोक्त प्रकरण में विधि विरुद्ध जाकर प्राथी का जवाब देही का अवसर समाप्त कर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित करने पर उतारू हो रहे। अधीनस्थ न्यायालय के वर्तनान पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण के द्वारा लगाये जाने वाले अनैतिक दवाब के कारण प्रकरण में बिना अप्रार्थी प्रतिवादी से जवाब प्राप्त किये एवं बिना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये प्रकरण में छोटी–छोटी तारीख पेशी नियत कर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित कर प्रकरण का निस्तारण करने पर उतारू हो रहे है प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद कतई नहीं है। अतः प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के समक्ष एक वाद तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53,188 आरटीएक्ट बउनवानी जसवन्त बनाम करणसिंह वगैरा प्रकरण संख्या 69/2025 व स्थगन प्रार्थना पत्र को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना से जिले के अन्यन्त्र राजस्व न्यायालय के समक्ष स्थानान्तरण किये जाने के आदेश सादिर फरमावे।

5. अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य गलत है स्वीकार नहीं, सभी तथ्य गलत व बेबुनियाद प्रस्तुत किये गये है उपरोक्त प्रकरण स्वयं प्रार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जो वास्ते तल्वी हेतु नियत है जो आज दिन तक प्रार्थी/वादी ने प्रतिवादीगण की तामील हेतु तलवाना प्रस्तुत नहीं किया ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने के आदेश दिये जाने का तथ्य किसी भी सूरत में सभव नहीं है। स्वयं अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त आराजी बाबत तकासमे हेतु प्रस्तुत वाद बअनुवानी जसवन्त बनाम करणसिंह में प्रार्थी/वादी उपस्थित होकर लगातार जवाब हेतु समय चाह रहे है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने के बजाय प्रकरण में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। पत्रावली वास्ते तलवी हेतु नियत है उपरोक्त तथ्यों को छुपाते हुये प्रारम्भिक स्तर पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है इसलिये न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत करते हुये उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है। अतः उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।

6. वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन से जाहिर होता है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी/प्रतिवादी को जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना, छोटी–छोटी तारीख पेशी नियत कर प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने का संदेह है, जबकि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण वास्तें जवाब दावा/जवाब प्रार्थना पत्र हेतु विचाराधीन है जो स्वयं प्रार्थी ने भी अपने प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है, ऐसी स्थिति में तहत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी नहीं हो सकती है। इस प्रकार वकील प्रार्थी की बहस प्रकरण में चस्पा नही होती है तथा दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति संबंधित न्यायालय को भिजवाई जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान

(प्रियंका गोस्वामी)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़